

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए
कारोबार संहिता एवं नीति शास्त्र

(निदेशक मंडल द्वारा 17, अगस्त, 2011 को हुई उसकी 20वीं बैठक में अनुमोदित)



सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि०.
(भारत सरकार का उद्यम)

सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि०.

(भारत सरकार का उद्यम)

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए

कारोबार संहिता एवं नीति शास्त्र

1-० प्रस्तावना

- 1.1 इस संहिता को सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि०. (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) के "निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार संहिता एवं नीति शास्त्र" कहा जाएगा।
- 1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्यों में नीति शास्त्रके सिद्धान्त एवं पारदर्शी प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करना है ।
- 1.3 निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 के प्रावधानों के अनुपालन में बनाई गई है ।
- 1.4 यह 17 अगस्त, 2011 से लागू होगी ।

2.0 परिभाषाएँ एवं व्याख्याएं

- 2.1 "निदेशक मंडल के सदस्यों" से अभिप्राय कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों से है।
- 2.2 "पूर्णकालिक निदेशक" अथवा "प्रकार्यात्मक निदेशक" कंपनी के निदेशक मंडल में वे निदेशक हैं, जो कंपनी की पूर्णकालिक सेवा में हैं ।

- 2.3 "अंशकालिक निदेशकों" से अभिप्राय निदेशक मंडल के उन निदेशकों से है, जो निगम की पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं ।
- 2.4 "संबंधी" शब्द का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है । (अनुलग्नक-1 क)
- 2.5 "वरिष्ठ प्रबंधन" शब्दों से अभिप्राय कंपनी के उन कार्मिकों से है जो मुख्य प्रबंधन टीम अर्थात् सहायक महा प्रबंधक/अधिशासी अभियंता तथा ऊपर के अधिकारी हैं ।
- 2.6 कंपनी से अभिप्राय सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि० से है ।

टिप्पणी- इस संहिता में पुलिंग शब्दों में स्त्री लिंग का तथा एकवचन शब्दों में बहुवचन तथा इसका उल्टा अर्थ समाहित होगा ।

3.0 अनुप्रयोज्यता

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगी:-

- (क) प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशक ।
- (ख) विधि के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष सहित सभी अंशकालिक एवं गैर सरकारी निदेशक।
- (ग) वरिष्ठ प्रबंधन ।

3.2 सभी निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी कंपनी की वर्तमान में लागू/भविष्य में लागू की जानी वाली नीतियों, नियमों तथा कार्यविधियों का पालन करेंगे ।

4.0 संहिता की विषय-वस्तु

भाग- I सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ

भाग - II विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

भाग-III निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

यह संहिता व्यवसायिक कार्य संचालन में नीति शास्त्र के उपयोग का आधार है। यह व्यवसायिक कार्यों में नीति शास्त्र के उल्लंघन का आधार भी बन सकती है।

यह माना जा सकता है नीति शास्त्र एवं कारोबार आचार संहिता में कुछ शब्दों एवं वाक्यांशों की व्याख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है। अतः किसी विरोध की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा ।

भाग-1

5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ

5.1 समाज एवं मानवता के हित में योगदान

5.1.1 जन समुदाय के जीवन में गुणवत्ता लाने का अर्थ है कि मूल मानव अधिकारों की संरक्षा सहित सभी संस्कृतियों की विविधताओं का सम्मान किया जाए । हमें निश्चित रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी सेवाएँ एवं गतिविधियाँ सामाजिक रूप से उत्तरदायी ढंग से सम्पन्न हो, सामाजिक आवश्यकताओं पूर्ति करें, व्यक्ति अथवा समुदाय के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालें एवं अंततः वोगत्वा किसी के हितों पर भी कोई कुठाराघात न हो ।

5.1.2 अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन जो कंपनी की गतिविधियों एवं विभिन्न सेवाओं के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, मानव जीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति वैधानिक एवं नैतिक रूप से स्वयं जागरूक रहें तथा अन्य को भी जागरूक बनाएँ ।

5.2 ईमानदार, विश्वसनीय एवं सत्यनिष्ठ रहें ।

5.2.1 सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी विश्वास के आवश्यक घटक हैं । विश्वास के बिना कोई संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता ।

- 5.2.2 निदेशक मंडल के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सत्यनिष्ठा से कार्य करें तथा कंपनी की कारोबार गतिविधियों में ईमानदारी एवं आचरण के उच्च मानकों का अनुसरण करें ।
- 5.3 निष्पक्ष रहें तथा कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई न करें ।
- 5.3.1 समानता, सहनशीलता, सभी के प्रति सम्मान, समान न्याय जैसे सिद्धांत इस प्रकार की अनिवार्यता के अंतर्गत आते हैं । जाति, लिंग, धर्म, आयु, विकलांगता, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करना इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा ।
- 5.4 गोपनीयता का सम्मान करें
- 5.4.1 ईमानदारी का सिद्धान्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा करता है । सभी हितधारकों के दायित्वों का सम्मान करना पहला कर्तव्य है । जब तक विधि द्वारा अथवा इस संहिता के अंतर्गत अपेक्षित न हो, सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखी जाए।
- 5.4.2 अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के कारोबार तथा कार्यों सहित अप्रकाशित सूचना की गोपनीयता कायम रखेंगे ।
- 5.4.3 बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपना कर्तव्य पूरा करना ।
- 5.5 प्रतिज्ञा एवं व्यवहार
- 5.5.1 कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ।
- 5.5.2 जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निर्बाध रूप से कार्य करना।
- 5.5.3 कंपनी के विकास एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करना
- 5.5.4 कंपनी को गौरवशाली बनाना तथा कंपनी के हितधारकों को सिद्धान्तों पर आधारित सेवा प्रदान करना ।

भाग-11

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक दायित्व

6.1 कंपनी की दूरदृष्टि, लक्ष्य एवं मूल्यों को दिन-प्रतिदिन साकार रूप देना,

जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दूरदृष्टि

"व्यापार के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान कर लॉजिस्टिक लागत कम करने में भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान करना ।"

लक्ष्य

"समस्त हितधारकों के लाभ के लिए लागत में कमी लाते हुए कुशल रेल आधारित संपूर्ण लॉजिस्टिक हल उपलब्ध कराना ।"

मूल्य

- * उत्कृष्टता तथा परिवर्तन के लिए उत्साह तथा उत्कंठा बनाए रखना ।
- * सभी मामलों में सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता रखना ।
- * व्यक्तियों के आत्म सम्मान तथा कार्य करने की क्षमता को स्वीकृति प्रदान करना
- * वचनबद्धताओं का सम्पूर्ण अनुपालन
- * प्रत्युत्तरों में गति सुनिश्चित करना एवं सीखने के लिए तत्पर रहना ।
- * सृजनात्मक तथा टीमवर्क को सशक्त बनाना ।
- * कंपनी के प्रति निष्ठा एवं उदारता की भावना रखना ।

6.2 व्यावसायिक कार्य के दौरान प्रक्रियाओं तथा सेवाओं में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा स्तर बनाए रखना: अपने कार्यों में निरंतर उत्कृष्टता बनाए रखना किसी भी व्यावसायिक की पहली एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने

व्यवसायिक कार्य के दौरान प्रक्रियाओं तथा सेवाओं में गुणवत्ता, प्रभावकारिता एवं उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए ।

- 6.3 व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करना एवं जारी रखना: अपने कार्य में उत्कृष्टता उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ही लाई जा सकती है जो व्यवसायिक दक्षता के लिए तत्पर रहते हैं । अतः सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि दक्षता के उपयुक्त स्तर प्राप्त करने के लिए कार्य करें ।
- 6.4 विधियों का अनुपालन: निदेशक मंडल के सदस्य तथा कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान में लागू स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करेंगे । वे कंपनी के कारोबार संबंधी नीतियों, कार्यविधियों नियमों तथा विनियमों का भी पालन करेंगे ।
- 6.5 उपयुक्त व्यवसायिक समीक्षा स्वीकार करना तथा उपलब्ध कराना: गुणवत्तायुक्त व्यवसायिक कार्य व्यवसायिक समीक्षा तथा टिप्पणियों से ही संभव है । जब भी अवसर मिलें, प्रत्येक द्वारा अपने सहकर्मियों के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए तथा उससे सीखना चाहिए अन्य कार्मिकों के कार्यों की भी रचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए ।
- 6.6 कार्यवातावरण में गुणवत्ता हेतु कार्मिकों एवं संसाधनों का समुचित उपयोग: संगठन में कार्य करने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे कंपनी में ऐसा कारोबारी वातावरण का सृजन करें कि सभी सहकर्मी हृदय से कंपनी के विकास में पूरा योगदान दें । निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करें कि सभी कर्मचारियों का आत्म-सम्मान सुनिश्चित हो सकें । सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराते हुए कर्मचारियों को अपनी व्यवसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि कंपनी के कार्यों एवं सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके ।
- 6.7 ईमानदार रहे तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचे: निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार अन्य संबंधों के माध्यम से कोई व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन अथवा कंपनी के लेन-देन के कार्यों के दौरान किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेंगे । इसमें उपहार तथा अच्छे मूल्य के अन्य लाभ शामिल हैं जो संगठन के कारोबार को प्रभावित करने तथा किसी एजेंसी आदि को ठेका प्रदान करने के दौरान दिए जा सकते हैं ।

- 6.8 **कॉरपोरेट अनुशासन बनाए रखें:** कंपनी की सूचनाओं का आदान-प्रदान कठोर सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। कर्मचारी अपनी बात कह सकते हैं। किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए अपना मत प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए तथापि एक बार सहमति हो जाने पर, यह उम्मीद की जाती है कि सभी इसका पालन करेंगे चाहे व्यक्तिगत रूप में कुछ मामलों में असहमति भी क्यों न हो। कुछ मामलों में नीतियाँ मार्गदर्शन करती हैं कुछ में बाधक भी बन सकती हैं। अतः, सभी को यह अंतर समझना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि नीतियों का अनुपालन करना क्यों आवश्यक है।
- 6.9 **कंपनी के हित में कार्य करें:** सभी से यह उम्मीद की जाती है कि झूठी पर झूठी के बाद भी हमेशा कंपनी के हित में कार्य करें। व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा व्यवहार से अंतर्व्यवहार कंपनी की साख बनती है। यह ध्यान रखा जाए कि कंपनी के कर्मिकों तथा जनसमूह में भी कंपनी उसी प्रकार की छवि बनती है, जो बनाई जाती है।
- 6.10 **कंपनी के हितधारकों के प्रति जिम्मेदार बनें:** कंपनी कई प्रकार से अपनी सेवाएँ प्रदान करती है, एक ओर ग्राहक हैं, जिनके बिना कंपनी के कारोबार की कल्पना नहीं की जा सकती, अंशधारक हैं, जिनका कंपनी में पैसा लगा हुआ है, कंपनी के कर्मचारी हैं जिनका हित इससे जुड़ा हुआ है, विक्रेता हैं जो समय पर सेवाएं देकर कंपनी की सहायता करते हैं तथा समाज है जिसके प्रति कंपनी जिम्मेदार है। ये सभी कंपनी के हितधारक हैं। अतः सभी को ध्यान रख कर सर्वदा कंपनी के हितधारकों के प्रति जिम्मेदार रहें।
- 6.11 **अनाधिकृत व्यापार से दूरी बनाना:** निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की आंतरिक कार्यविधि संहिता का पालन करेंगे तथा कंपनी की प्रतिभूतियों के मामले में अनाधिकृत व्यापार से दूरी बनाए रखेंगे।
- 6.12 **कारोबार जोखिमों की पहचान, कर उन्हें कम तथा व्यवस्थित करना:** यह प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि कंपनी के कारोबार जोखिमों की पहचान करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन रूप रेखा का पालन करें तथा जोखिमों से बचाव के क्षेत्र में कंपनी को सहयोग दें।

- 6.13 कंपनी की सम्पतियों की रक्षा करे: निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की सम्मदा, सूचनाओं तथा बौद्धिक अधिकारों सहित सभी प्रकार की सम्पतियों की रक्षा करेंगे ।
- 6.14 कंपनी के सम्पूर्ण हित में कार्य करने सहित सभी आर्थिक दायित्वों को पूरा करें ।
- 6.15 व्यवसायिक, शिष्टाचारपूर्वक, आदरपूर्वक ढंग से कार्य करेंगे तथा निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधन होने का अनुचित लाभ नहीं उठायेंगे ।
- 6.16 पूरी सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व तथा कुशलता से कार्य करेंगे तथा अपने विवेक को प्रभावित नहीं होने देंगे ।
- 6.17 निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में प्राप्त किसी सूचना का उपयोग इस ढंग नहीं करेंगे जो कंपनी के हितों के विरुद्ध हो ।

भाग-III

7.0 विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

- 7.1 निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन: निदेशक मंडल तथा समितियाँ जिनके वे सदस्य हैं की बैठकों सक्रिय रूप से भाग लेंगे ।
- 7.2 निदेशक मंडल के सदस्यों के रूप में
- 7.2.1 वचन देते हैं कि उनकी निदेशक मंडल 'में' स्थिति, अन्य कारोबार तथा घटनाएं/परिस्थितियों के कारण निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की समितियों में उनके कार्यों अथवा स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की स्वतंत्र अपेक्षाओं तथा लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों को पूरा करने में यदि उनका विवेक प्रभावित हो सकता है तो उसकी सूचना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को देंगे ।
- 7.2.2 वचन देते हैं कि निदेशक मंडल के उन सदस्यों की जिन्हें मामले में व्यक्तिगत रूप से कोई लेना-देना नहीं है, की पूर्ण अनुमति के बिना हितों की टकराहट से बचेंगे । हितों

की टकराहट उस समय सामने आती है जब व्यक्तिगत हित कंपनी हित पर भारी पड़ने लगते हैं, उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित मामले हो सकते हैं:

संबंधित पार्टी प्रकटन: कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन का कार्य करना अथवा संबंध रखना जिनमें उनका वित्तीय अथवा कोई व्यक्तिगत हित जुड़ा हो (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जैसे अपने परिवार के सदस्य अथवा संबंधी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन जिससे वे जुड़े हुए हैं।)

अन्य कंपनी में निदेशक का पद लेना: कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही किसी अन्य कंपनी में निदेशक का पद ग्रहण करना।

परामर्शदात्री सेवा/कारोबार/रोजगार: किसी भी ऐसी गतिविधि में लगना (चाहे यह परामर्शदात्री सेवा, कारोबार चलाना, रोजगार स्वीकार करना है) जो कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों में बाधक हो सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए अथवा किसी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता अथवा कंपनी के ग्राहक से किसी प्रकार नहीं जुड़ना चाहिए

व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का उपयोग: निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7.3 कारोबार संहिता एवं नीति शास्त्र के सिद्धान्तों का अनुपालन

7.3.1 निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य इस संहिता के सिद्धान्त का पालन करेंगे तथा इसका संवर्द्धन करेंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी उत्कृष्टता तथा नीति शास्त्र के सिद्धान्तों के समुचित अनुपालन दोनों ही स्तम्भों पर टिका हुआ है। अतः निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को इस संहिता में दिए गए सिद्धान्तों पर न केवल स्वयं चलना चाहिए बल्कि दूसरों को भी इसके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.3.2 इस संहिता का उल्लंघन कंपनी के साथ स्थापित संबंध में असंगति माना जाएगा: व्यावसायिकों द्वारा इस संहिता का अनुपालन सामान्यतः स्वैच्छिक है। तथापि निदेशक

मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन यदि इसका पालन नहीं करता है तो निदेशक मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा । कंपनी के पास चूककर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

7.4 विविध मुद्दे

7.4.1 संहिता का निरंतर अद्यतन

इस संहिता की निरंतर रूप से समीक्षा की जाएगी। विधि, कंपनी के दर्शन, दूरदृष्टि तथा कारोबार योजनाओं अथवा अन्य परिवर्तन, जो बोर्ड आवश्यक समझेगा, संहिता में संशोधन/परिवर्तन किए जायेंगे तथा वे जिस तारीख को किए जाएंगे उसी तारीख से लागू होंगे ।

7.4.2 स्पष्टीकरण कहां से प्राप्त करें

निदेशक मंडल अथवा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य को यदि इस संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह कंपनी सचिव अथवा निदेशक मंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी से संपर्क कर सकता है ।

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए

कारोबार आचार संहिता एवं

नीति शास्त्र की प्राप्ति सूचना

मैंने सैण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि० के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र को प्राप्त कर लिया है तथा पढ़ लिया है (12 पृष्ठ)। मैं कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र में दिए गए मानकों एवं नीतियों को समझता हूँ तथा यह भी जानता हूँ कि मेरे कार्य के संबंध में विशिष्ट अतिरिक्त नीतियाँ अथवा विधि हो सकती हैं। मैं कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र के पालन के लिए सहमत हूँ।

यदि कारोबार आचार संहिता एवं नीति शास्त्र के अर्थ एवं प्रयोग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की नीतियों अथवा मेरे कार्य के संबंध में कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में मेरी कोई जिज्ञासा एवं प्रश्न है तो मैं यह जानता हूँ कि मैं कंपनी सचिव अथवा कंपनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से परामर्श कर सकता हूँ तथा मेरे प्रश्नों अथवा रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाएगा

इसके अतिरिक्त मैं, वार्षिक आधार पर कंपनी सचिव अथवा कंपनी के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रतिवर्ष 31 मार्च, से 30 दिन के अंदर संलग्न पुष्टि उपलब्ध कराने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दूरभाष

स्थान

तारीख

अभिपुष्टि

(निदेशक मंडल के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक देने के लिए)

मैं.....(नाम)(पदनाम) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि कारोबार आचार संहिता एवं नीति शा को पढ़ा एवं समझा है। 31 मार्च,को समाप्त वर्ष के दौरान संहिता का अनुपालन किया है तथा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

